अध्याय – 3
ऋणों की संस्वीकृति और संवितरण

3.1 प्रस्तावना

इरेडा ने परियोजना वित्तपोषण के लिए अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण दिशानिर्देश बनाए हैं। इन दिशानिर्देशों में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्न शामिल है:

- इरेडा के वित्तपोषण प्रतिमानों में वित्तपोषण के लिए योग्य क्षेत्र और योजनाओं के प्रकार, पूर्व भुगतान पर नीति, पंजीकरण शुल्क, फ्रंट ऐंड फीस, पुन: अनुसूचीबद्ध शुल्क इत्यादि शामिल हैं।

- इरेडा के परिचालन प्रतिमानों में संस्वीकृति हेतु प्रक्रिया और प्रतिमान, ऋण का अंतरिम और नियमित संवितरण, पुन: अनुसूचीबद्धता पर नीतियां, समझौता और बट्टा खाता और ब्याज पुर्नगठन खण्ड, अधिप्राप्ति हेतु दिशानिर्देश, तकनीकी सहायता, एमएनआरई कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों (सितम्बर 2006) के अनुसार इरेडा ने एक उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) तैयार किया (मार्च 2007) जिसमें ऋण आवेदनों की पावती और सत्यापन, ऋण आवेदनों की वैधता, ऋण आवेदनों का प्रसंस्करण, ऋण मूल्यांकन और नियम और शर्तें, ऋणों का संवितरण, मॉनीटरिंग और मूल्याकंन, ऋण और ब्याज के पुन: भुगतान पर प्रतिभूतियां जारी करना, शिकायत निवारण तंत्र आदि के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाई गई है।

वित्तपोषण की प्रक्रिया और ऋणों की वसूली को दर्शाने वाला एक फ्लो चार्ट नीचे दर्शाया गया है:

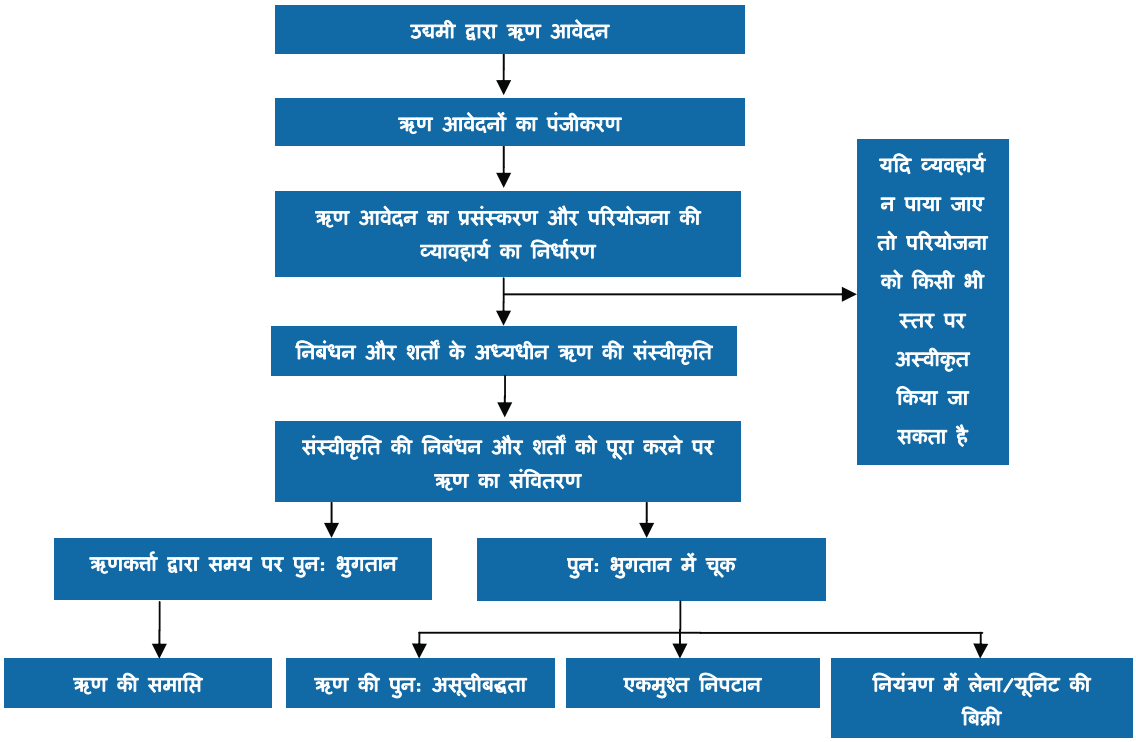

3.2 ऋण आवेदनों के पंजीकरण और संसाधन के लिए प्रक्रिया

उचित व्यवहार संहिता के अनुसार इरेडा को ऋण आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर उसकी प्राप्ति की पावती जारी करनी होती है। सामान्यता ऋण आवेदन फार्म की प्रारंभिक संवीक्षा आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 14 दिनों के अन्दर पूरी की जाती है और ऋणकर्त्ता को ऋण आवेदन फार्म की प्रक्रिया हेतु पुन: आवश्यक दस्तावेज/सूचना के ब्यौरों के साथ आवेदन पंजीकरण संख्या की सूचना का एक पत्र जारी किया जाता है। उस मामलें में यदि आवेदन पत्र योग्यता मानदंड को पूरा नहीं करता तो आवेदन का पंजीकरण नहीं किया जाता और वह निर्धारित आवेदन फीस सहित आवेदक को वापिस कर दिया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इरेडा ने समय-समय पर आवेदन और पंजीकरण के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया है और नवीनतम परिचालन दिशानिर्देश (अगस्त 2012) में बताया गया है कि यदि आवेदन पंजीकरण फीस के साथ प्राप्त किया जाए तो आवेदन की प्राप्ति पर, पंजीकरण परियोजना क्रियान्वयन संवितरण, मॉनीटरिंग तथा संचालन प्रणाली (पीआईडीएमओएस) में आनलाइन डाटा एंट्री के माध्यम से 7 कार्यदिवसों के अंदर किया जाएगा।

संस्वीकृत की जाने वाली ऋण सहायता की राशि के साथ-साथ निबन्धन और शर्तों की ऋणकर्त्ता के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाती है और दस्तावेजों की जांच के बाद अन्तिम रूप दिया जाता है। जब ऋणकर्त्ता द्वारा सभी अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तब अनुमोदन के लिए 90 दिनों

में सक्षम प्राधिकारी को एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। संस्वीकृति पत्र में ब्याज दर, अतिरिक्त ब्याज, फ्रंट एंड फीस, निर्णित हर्जाना, ऋण दस्तावेजों के हस्ताक्षर के बारे में ब्यौरे, ऋण वापसी, ऋण के पुन: भुगतान की अवधि, रियायती अवधि, पुन: भुगतान का तरीका, ऋणकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूतियों के प्रकार इत्यादि के बारे में लिखा होता है।

जबकि अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देशों में बताया गया है कि वित्तीय बाजार में तेजी से हो रहे परिवर्तनों और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण में लगे अन्य ऋणदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत प्रतिमानों की वार्षिक आधार पर संवीक्षा करने की आवश्यकता है लेखापरीक्षा ने देखा कि 1994 में बनाए गए इरेडा के अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण दिशानिर्देशों की 2008-09 से 2012-13 के दौरान बीओडी द्वारा केवल दो बार (फरवरी 2008 और अगस्त 2012) पुनरीक्षा की गई थी।

3.3 परियोजना प्रस्तावों की संस्वीकृति के लिए लिया गया समय

एफपीसी के अनुसार, इरेडा को सामान्यतया एक परियोजना के पंजीकरण के 90 दिनों के अन्दर उसकी संस्वीकृति करनी होती है यदि आवेदक द्वारा पूर्ण विवरण/दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं और परियोजना तकनीकी, वित्तीय और कानूनी तौर पर योग्य पाई जाती है।

पीआईडीएमओएस डाटाबेस से प्राप्त डाटा के विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

3.3.1 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान कुल 211 परियोजनाओं[10] की संस्वीकृति दी गई थी। परियोजनाओं की संस्वीकृति के लिए, लिए गए समय के विश्लेषण को नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका 3.1: 2008-09 से 2012-13 के दौरान परियोजनाओं की संस्वीकृति के लिए लिया गया समय

परियोजना संस्वीकृती हेतु लिया गया समय (दिनों में)	परियोजनाओं की संख्या	कुल संस्वीकृत परियोजनाओं की प्रतिशतता
0-90	128	60.66
91-180	64	30.33
181-270	14	6.64
271-360	3	1.42
361-450	2	0.95
जोड़	**211**	**100.00**

स्रोत: पीआईडीएमओएस डॉटाबेस

[10] *इसमें 2007-08 से पूर्व प्राप्त हुए दो आवेदन पत्र शामिल हैं परन्तु उन्हें संसाधित नहीं किया गया तथा इसमें अतिरिक्त ऋणों के लिए 18 आवेदन पत्र सम्मिलित नहीं है।*

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- इन 211 परियाजनाओं की संस्वीकृति के लिए लिया गया औसत समय 89 दिन था।
- जबकि 128 परियोजनाएं (60.66 *प्रतिशत*) 90 दिनों की निर्धारित सीमा में संस्वीकृत की गई थी, 83 परियोजनाएं (39.34 *प्रतिशत*) 66 दिनों के औसत विलम्ब के बाद संस्वीकृत की गई थी जो कि 90 दिनों की निर्धारित सीमा से परे थी।

कॉरपोरेट योजना 2012-17 में यह बताया गया था कि विकासकों ने इरेडा द्वारा उनके ऋण आवेदनों की प्रक्रिया में लिए जाने वाले समय के संबंध में चिंता जताई थी और यह भी कि बैंक और अन्य संस्थानों में परियोजनाए 2 महीनों की अवधि के अन्दर संस्वीकृत की जाती थी जोकि इरेडा के साथ हुए अनुभव से कम था।

इस प्रकार, मौजूदा समय सीमा के अन्दर संस्वीकृति प्रक्रिया में सुधार करने और परियोजनाओं की संस्वीकृति के लिए समग्र समय सीमा को कम करने की गुंजाईश थी।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2014) कि संस्वीकृति के लिए लिया जाने वाला औसत समय 90 दिनों के निर्धारित प्रतिमानों के अन्दर था। जहां कहीं भी विलम्ब पाए गए थे वह मुख्य रूप से आवेदकों से लम्बित सूचना के कारण थे। तथापि, यह समयावधि समीक्षाधीन है और इरेडा प्रणाली और प्रक्रियाओं में सुधार के माध्यम द्वारा संस्वीकृति का समय कम करने का प्रयास कर रहा है।

3.3.2 पीआईडीएमओएस डाटा से पता चलता है कि दि टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड और महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड सहित 10 परियोजनाएं (कुल 211 परियोजनाओं का 4.74 *प्रतिशत*) उसी दिन संस्वीकृत की गई थीं जिस दिन उनका आवेदन पंजीकृत किया गया था। इन दो मामलों के संबंध में परियोजना फाइलों के प्रति सत्यापन से पता चला कि टाटा पावर (परियोजना संख्या 1931) के मामले में ऋण 30 दिसम्बर 2010 को संस्वीकृत हुआ था जबकि इरेडा के साथ परियोजना का पंजीकरण 7 जनवरी 2011 अर्थात् संस्वीकृति के बाद किया गया था। महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (परियोजना संख्या 1932) के मामले में ऋण को 13 जनवरी 2011 को परियोजना के पंजीकरण के बिना संस्वीकृत किया गया।

इस प्रकार, इरेडा ने कुछ मामलों में पंजीकरण से पहले ही परियोजना के लिए ऋण संस्वीकृत करके अपने दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जबकि इसने बहुत कम समयावधि में कुछ परियोजनाओं के लिए ऋण संस्वीकृत किया।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2014) कि इरेडा ने बीओडी के समक्ष जाने से पहले पूर्णत: विधिवत परिश्रम किया था। आगे यह बताया गया था कि पंजीकरण की प्रक्रिया को अब संशोधित कर दिया गया है और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।

3.4 ऋण आवेदनों की प्राप्ति, संसाधित और निरस्तीकरण

2008-09 से 2012-13 के दौरान प्राप्त और संस्वीकृत आवेदनों का सार नीचे तालिका 3.2 में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2008-09 से 2012-13 के दौरान प्राप्त और संस्वीकृत आवेदन

क्षेत्र	प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या	प्राप्त हुए आवेदनों में कुल क्षमता (मे. वा.)	आवेदित ऋण राशि (₹ करोड़ में)	संस्वीकृत आवेदनों की संख्या	संस्वीकृत आवेदनों में शामिल कुल क्षमता (मे. वा.)	संस्वीकृत ऋण मूल्य (₹ करोड़ में)
पन बिजली	121	6329.75	7800.60	66	4115.40	3403.37
पवन	112	4881.90	12308.58	75	3113.35	6823.66
बायोमास पावर एवं को जेनेरेशन	90	1584.00	4901.35	34	672.80	1955.73
सोलर ग्रिड	70	584.25	3755.49	21	107.00	669.11
सोलर ऑफ ग्रिड	27	192.00	1388.19	18	100.00	46.60
ऊर्जा दक्षता	21	500.74	1271.85	8	93.50	442.89
वेस्ट से एनर्जी और विविध	16	74.48	562.46	5	3.23	28.98
जोड़	457	14577.12	31988.52	227	8205.28	13370.34

स्रोत: पीआईडीएमओएस, आंकडे इरेडा की वार्षिक रिपोर्ट से भिन्न है जैसा कि पैराग्राफ 6.2 में बताया गया है।

पंजीकरण के पश्चात निरस्त किये गये ऋण आवेदनों का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नलिखित तालिका 3.3 में दिया गया है:

तालिका 3.3: 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान छोडे गए ऋण आवेदनों का क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्षेत्र	पंजीकरण के बाद किन्तु ऋण की संस्वीकृति से पहले छोडे गए	फ्रंट एंड फीस के भुगतान से पूर्व छोडे गए	फ्रंट एड फीस के भुगतान के बाद किन्तु ऋण करार पर हस्ताक्षर से पहले छोडे गए	ऋण करार पर हस्ताक्षर के बाद छोडे गए	जोड़
पन बिजली	33	10	3	4	**50**
पवन	24	15	6	1	**46**
बायोमास पावर एवं को जेनेरेशन	16	6	2	0	**24**
सोलर ग्रिड	24	5	0	0	**29**
सोलर ऑफ ग्रिड	0	1	2	10	**13**
ऊर्जा दक्षता	8	3	0	1	**12**
वेस्ट से एनर्जी और विविध	2	1	0	0	**3**
जोड़	**107**	**41**	**13**	**16**	**177**

स्रोत: पीआईडीएमओएस

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान प्राप्त कुल 457 ऋण आवेदनों में से, 121 आवेदन (26.48 *प्रतिशत*) पंजीकरण से पूर्व निरस्त कर दिए गए थे। बाकी 366 आवेदन इरेडा द्वारा पंजीकृत किए गए थे। इनमें से 107 आवेदन ऋण की संस्वीकृति से पहले छोड़ दिए गए थे जबकि 70 आवेदन ऋण की संस्वीकृति के बाद निरस्त कर दिए गए थे। इस प्रकार, केवल 159 ऋण आवेदन (34.79 *प्रतिशत*) को अन्ततः संस्वीकृत किया गया था।

3.5 पंजीकरण के बाद निरस्त किये गए आवेदन

3.5.1 पंजीकरण के बाद छोडे गए 177 ऋण आवेदनों में से, लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच हेतु 43 (24 *प्रतिशत*) मामलों का चयन किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित किए गए मामलों में ऋण आवेदन को निरस्त किये जाने के लिए कारण निम्नानुसार थे:

तालिका 3.4: 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान निरस्त किये गए आवेदनों के लिए कारण

निरस्तीकरण के कारण	ऋण आवेदनों की संख्या	*प्रतिशत*
ऋणकर्त्ता द्वारा अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत न करना।	16	37.22
ऋण आवेदन इरेडा की क्रेडिट नीति/प्रचलित ऋण योजनाओं के अन्तर्गत कवर नहीं होना।	3	6.99
ऋण आवेदन की वैधता अवधि तक ऋणकर्त्ता से प्रतिक्रिया की कमी।	8	18.60
ऋणकर्त्ता द्वारा अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण प्रबंधन।	4	9.30
इरेडा/ऋणकर्त्ता द्वारा निबंधन और शर्तों की अस्वीकृति।	1	2.32
परियोजना गठन के लिए ऋणकर्त्ता की ओर से अनिच्छा व्यक्त करना।	1	2.32
परियोजना कार्यान्वयन औपचारिकताएं पूरी न करना।	6	13.95
ऋणकर्त्ता द्वारा स्वयं ऋण आवेदन वापिस लेना।	4	9.30
जोड़	43	**100.00**

3.5.2 आवेदन की अनुचित अस्वीकृति

इरेडा द्वारा **मै. एस.सी.आई. इंडिया लिमिटेड** को 1.6 एमडब्ल्यू बायो गैस विद्युत परियोजना बांका, बिहार में स्थापित करने के लिए ₹ 8.50 करोड़ का सावधि ऋण संस्वीकृत किया गया था। ऋण करार पर मई 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे।

हालांकि, करार की निबंधन एवं शर्तों (मई 2011) में बताया गया कि *अन्य बातों के साथ-साथ* ऋण, परियोजना से संबंधित अचल परिसम्पत्तियों को गिरवी रखने के द्वारा सुरक्षित हो जाएगा, इरेडा ने मार्च 2011 में जारी संस्वीकृत पत्र की शर्तों का उल्लेख करते हुए ऋणकर्त्ता की सभी अचल परिसम्पत्तियों को गिरवी रखने पर जोर दिया। इस लिए ऋणकर्त्ता को कोई संवितरण नहीं किया गया था। निबंधन एवं शर्तों में सख्ती बढ़ाने के लिए रिकार्ड पर कोई कारण नहीं थे। इससे असंतुष्ट हो कर ऋणकर्त्ता ने अपना ऋण आवेदन वापिस ले लिया (दिसम्बर 2012) और मामला जनवरी 2013 में इरेडा द्वारा बन्द कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- सितम्बर 2011 से सितम्बर 2012 तक ऋणकर्त्ता के संवितरण अनुरोध के संसाधन के प्रत्येक स्तर पर, इरेडा के परियोजना तकनीकी संस्वीकृति (पीटीएस) विभाग ने संवितरण हेतु उचित तर्कसंगतता और सिफारिश के साथ मामला प्रस्तुत किया। तथापि, इरेडा के वरिष्ठ प्रबन्धन ने आपत्तियां उठाई जिसके कारण ऋण का संवितरण नहीं किया जा सका।

- पीटीएस विभाग ने नोट किया कि संवितरित होने वाला ऋण परियोजना परिसम्पत्तियों द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूतिकृत था।

इस प्रकार इरेडा ने अनुचित रूप से मामले को निरस्त कर दिया।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि कम्पनी प्रतिभूति के रूप में परियोजना परिसम्पत्ति को गिरवी नहीं रख सका। और इसलिए ऋणकर्त्ता संवितरण के लिए पात्र नहीं था और इस प्रकार उन्होंने आवेदन को वापिस लेने का निर्णय लिया।

लेखापरीक्षा, प्रबंधन के तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर इरेडा ने ऋणकर्त्ता के सामने, अतिरिक्त शर्त आगे रखी जबकि ऋण पूरी तरह से परियोजना परिसम्पत्तियों द्वारा प्रतिभूतिकृत बताया गया था। चूँकि ऋण करार कानूनी रूप से बाध्यकारी था, इसलिए ऋण करार के बजाए इरेडा के संस्वीकृति पत्र की अतिरिक्त शर्तों के अनुपालन पर जोर देना उचित नहीं था।

3.6 ऋणों के संवितरण की प्रक्रिया

इरेडा द्वारा ऋण की किश्तों का संवितरण परियोजना की प्रत्यक्ष प्रगति, पहले से दी गई किश्तों के संतोषजनक उपयोग, और प्रोत्साहकों के अशंदान के अनुपात पर निर्भर करता है। ऋणकर्त्ता के पास निधियां आहरित करने के निम्नलिखित विकल्प हैं: i) अंतरिम ऋण/संवितरण; ii) नियमित संवितरण; iii) अतिरिक्त/ब्रिज ऋण।

गैर ग्रीनफील्ड विंड परियोजनाओं को छोडकर ग्रिड से संबंधित सभी विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थलों का पूर्व संस्वीकृति निरीक्षण किया जाना आवश्यक है और दो और निरीक्षण आवश्यक हैं- एक पहले संवितरण से पूर्व और दूसरा परियोजना के प्रारंभ होने के बाद किन्तु ऋण के आखिरी संवितरण जारी करने से पहले।

नियमित संवितरण की पहली किश्त *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन/पूर्णता के आधीन है: परियोजना की मद-वार प्रत्यक्ष प्रगति प्रस्तुत करने, परियोजना के निरीक्षण, ऋणकर्त्ता कम्पनी के बोर्ड पर नामित निदेशक का अधिष्ठापन और समवर्ती लेखापरीक्षकों/इंजीनियरों की नियुक्ति, यदि इरेडा द्वारा लागू और सलाह दी गई हो, सनदी लेखाकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जिसमें पहले से किया गया मद-वार व्यय जैसी सूचना कवर होती है; कोई नो-लियन खाता[11]/ट्रस्ट एंड रिटेन्शन खाता (टीआरए)[12]/विशेष खाते को खोलने से पहले और बाद में प्रोत्साहक के अंशदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र, पहले से संवितरित की गई राशियों का उपयोग।

बाद का संवितरण यथानुपात आधार पर प्रोत्साहक द्वारा परियोजना के लिए दिए गए अंशदान और पूर्व संवितरणों के लिए लम्बित शर्तों/औपचारिकताओं के अनुपालन के अलावा निम्नलिखित को ध्यान में रखकर किया जाएगा - i) पिछली निधियां जारी करने के समय बनाई गई शर्तों; ii) परियोजना की संतोषजनक प्रगति; iii) इरेडा अधिकारियों या उसके नामितियों द्वारा परियोजना निरीक्षण यदि आवश्यक हो; iv) प्राप्त की गई समवर्ती लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, जब भी इरेडा द्वारा नियुक्त हो, इत्यादि।

3.7 संस्वीकृत ऋण आवेदन

3.7.1 जैसा कि पहले की तालिका 1.3 में बताया गया है लेखापरीक्षा ने ऋण के 42 मामलों का चयन किया (25 संस्वीकृति और 17 संवितरित मामले)। 17 मामलों में (40 *प्रतिशत*) इरेडा ने वित्तीय दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रतिमानों से विचलन किया था जैसा कि नीचे तालिका 3.5 में बताया गया है: (**अनुबंध IV** में विवरण)।

---

[11] *यह खाता बैंक के पास होता है जिसमें इरेडा ऋणकर्त्ता कम्पनी की चूक के मामले में बैंक को निर्देश दे सकता है कि वह राशि निकालने से रोके।*

[12] *यह खाता ऋणकर्त्ता कम्पनी को द्वारा खोला जाता है जहाँ परियोजना से सृजित सभी प्राप्ति जमा की जानी होती है। इरेडा के पास इस खाते का लियन/प्रथम प्रभार होता है।*

तालिका 3.5: ऋण की संस्वीकृति में प्रतिमानों से विचलन

क्र. सं.	विचलन का स्वरूप	उन मामलों की संख्या जहां उल्लंघन देखा गया था*	प्रतिशतता
1.	ऋण जोखिम सीमा को पार करना	5	29
2.	संवितरण से पूर्व गिरवी न रखना	6	35
3.	प्रोत्साहक का अंशदान समय से नहीं लाया गया	4	24
4.	ट्रस्ट और अवधारण खाता नहीं बनाया गया	2	12
5.	दीर्घ पुन: भुगतान अवधि की अनुमति	2	12
6.	अपेक्षित निरीक्षण नहीं किया गया	11	65
7.	नामांकित निदेशक और/या ऋणदाता के इंजीनियरो नियुक्त नहीं किये गये	4	24

** 17 मामलों में से जहां विचलन देखे गए थे। कुछ मामलों में एक या अधिक विचलन पाए गए थे।*

मामलों के बड़े अनुपात (40 *प्रतिशत*) में प्रतिमानों/दिशानिर्देशों से विचलन, विशेष रूप से निरीक्षण का अभाव (65 *प्रतिशत*), संवितरण से पूर्व गिरवी न रखना (35 *प्रतिशत*), क्रेडिट सीमा की अरक्षितता (29 *प्रतिशत*) और प्रोत्साहक का अंशदान लाने में विलम्ब (24 *प्रतिशत*) चिन्ता के कारण हैं।

3.8 निर्धारित क्रेडिट सीमा से परे ऋणों की संस्वीकृति

3.8.1 गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए 12 दिसम्बर 2006 को अधिसूचित आरबीआई विवेकपूर्व प्रतिमानों में निम्नलिखित अरक्षितता सीमा का अनुबंध किया जाता है। एनबीएफसी वित्तीय संस्थनात्मक परियोजनाओं के लिए, आरबीआई विवेकपूर्ण प्रतिमान सीमा से अधिक की अनुमति देते हैं। आरबीआई और इरेडा प्रतिमानों की तुलना से निम्न का पता चला:

वर्ग	एकल ऋणकर्ता जोखिम सीमा	ग्रुप ऋणकर्ता जोखिम सीमा
आरबीआई प्रतिमानों के अनुसार	इरेडा की निवल सम्पत्ति का 15 *प्रतिशत*	इरेडा की निवल सम्पत्ति का 25 *प्रतिशत*
इरेडा प्रतिमानों के अनुसार	इरेडा की निवल सम्पत्ति का 20 *प्रतिशत*	इरेडा की निवल सम्पत्ति का 35 *प्रतिशत*

एक इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कम्पनी के रूप में इसके वर्गीकरण के लिए इरेडा के आवेदन की संवीक्षा करते समय आरबीआई ने देखा कि यह अनुज्ञेय अरक्षितता सीमा से अधिक था। इस लिए आरबीआई ने इरेडा को समय सीमा प्रस्तुत करने के निर्देश (सितम्बर 2010) दिए जिसके अन्दर इरेडा दिसम्बर

2006 के आरबीआई प्रतिमानों का अनुपालन करेगा। तथापि इरेडा ने निर्णय लिया कि एक सरकारी कम्पनी होने के नाते आरबीआई विवेकपूर्ण प्रतिमानों को लागू करना अनिवार्य नहीं था, और इसलिए आरबीआई के अनुसार अरक्षितता प्रतिमान उस पर लागू नहीं हैं। इस लिए, इरेडा अपने आप को आरबीआई के अनुमोदन के बिना एक इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कम्पनी के रूप में मान रही थी जिसके अन्तर्गत उच्चतर अरक्षितता सीमा अनुमत हैं।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2014) कि आरबीआई प्रतिमान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वित्तपोषण हेतु आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा के अतिरिक्त एकल ऋणकर्त्ता के लिए 5 *प्रतिशत* और ग्रुप ऋणकर्त्ता के लिए 10 *प्रतिशत* की अतिरिक्त अरक्षितता अनुमत करता है। चूँकि आरई क्षेत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की परिभाषा के अन्दर आता है, इस लिए अरक्षितता सीमा तदनुसार बीओडी के अनुमोदन से निर्धारित की जाती है। आगे यह बताया गया है कि इरेडा केवल आरई क्षेत्र में वित्तपोषण करती है, इसलिए अरक्षितता सीमा जैसाकि ऊपर बताया गया है उसके अनुसार रखी गई है।

तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि इरेडा को इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त कम्पनी (अप्रैल 2014) के रूप में नामित करने के लिए अभी आरबीआई की मंजूरी प्राप्त करना बाकी है और इस प्रकार उसे इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तीय कम्पनी को यथा लागू अतिरिक्त अरक्षितता सीमा निर्धारित करने का हक नहीं था।

व्याख्यात्मक मामलों में अरक्षितता सीमा उल्लंघनों सहित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ नीचे दी गई हैं।

3.8.2 मै. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड (टीपीसीएल) (परियोजना संख्या 1931) ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 158.50 एमडब्ल्यू की कुल क्षमता की दो परियोजनाओं की स्थापना हेतु 9.50 *प्रतिशत* की ब्याज दर पर ₹ 500 करोड़ की लाइन ऑफ क्रडिट (एलओसी) के लिए इरेडा से सम्पर्क किया (नवम्बर 2010)। इरेडा ने टीपीसीएल को 9.60 *प्रतिशत* पर ₹ 450 करोड़ की एलओसी संस्वीकृत की (दिसम्बर 2010) और ऋण समझौते पर मई 2011 में हस्ताक्षर किए थे।

अरक्षितता 42.73 *प्रतिशत* थी अर्थात् 15 *प्रतिशत* के आरबीआई विवेकपूर्ण प्रतिमान और इरेडा के घोषित 20 *प्रतिशत* दोनों से काफी अधिक थी।

प्रतिमानों को बढाने के लिए अभिलेखित कारण निम्नानुसार थे:

क) इरेडा एक एनबीएफसी है जो आरबीआई के पास पंजीकृत है और 100 *प्रतिशत* सरकारी कम्पनी होने के नाते आरबीआई प्रतिमानों से छूट प्राप्त है।

ख) पीएफसी और आरईसी ने भी 150 *प्रतिशत* तक प्रतिमानों में ढ़ील दी हैं।

परियोजना को संस्वीकृती देने में अन्य विचलन निम्नानुसार थे:-

- इरेडा के दिशानिर्देशों के अनुसार, ब्याज परियोजना की रेटिंग के अनुसार इरेडा की क्रेडिट रेटिंग सैल द्वारा ऋणकर्त्ता कम्पनी पर प्रभारित किया जाना था। टीपीसीएल को इरेडा द्वारा ग्रेड-I दिया गया था। यद्यपि ग्रेड-I कम्पनियों के लिए पवन ऊर्जा क्षेत्र के लिए ब्याज की लागू दर 10.50 *प्रतिशत*[13] थी किन्तु ऋण 9.60 *प्रतिशत* पर इस आधार पर संस्वीकृत किया गया था कि इरेडा के पास पर्याप्त सम्पत्ति थी और बाहरी उधारियों की लागत 8.81 *प्रतिशत* थी, और टीपीसीएल इरेडा के सम्मानीय ग्राहकों में से एक था जिसका पिछला रिकार्ड काफी अच्छा था।

- पूर्व संस्वीकृति निरीक्षण और प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं किए गए थे।

3.8.3 इरेडा ने **मै. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड** (परियोजना संख्या 1838) को गुजरात में जिला जामनगर और कर्नाटक में जिला गडग में 100.80 एमडब्ल्यू की कुल क्षमता की विन्ड फार्म परियोजना स्थापित करने के लिए ₹ 362 करोड़ के लाइन ऑफ क्रेडिट की संस्वीकृति दी (मई 2008)। ऋण समझौते पर फरवरी 2009 में हस्ताक्षर किये गये।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित देखा:

- इरेडा ने ₹ 362 करोड़ के लाइन ऑफ क्रेडिट संस्वीकृत करते हुए अरक्षितता सीमा बढा दी जोकि उसके निवल सम्पत्ति से 56 *प्रतिशत* थी। समान आधार पर सीमा बढाना तर्कसंगत था जैसा ऊपर पैराग्राफ 3.8.2 में दिया गया है।

- इरेडा की अरक्षितता सीमा मापदंड के अनुसार ऋण, पहले से वितपोषित बकाया ऋण द्वारा समायोजित किया जाएगा। चूँकि इरेडा 2006-07 में मै. टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड को पहले से ₹ 95 करोड़ का वित्त पोषण एक अन्य परियोजना (संख्या 1807) के लिए दे चुका था। इसलिए वर्तमान ऋण राशि को ₹ 91.50 करोड़ की पहले ऋण की बकाया राशि द्वारा कम किया जाना चाहिए था। तथापि, इरेडा ने जोखिम सीमा के संदर्भ के साथ कुछ ऋण के समायोजन के बिना ₹ 362 करोड़ की पूरी ऋण राशि की संस्वीकृति की। परियोजना संख्या 1807 और 1838 के संबंध में संस्वीकृत ऋणों को जोड़ने पर अरक्षितता 70.15 *प्रतिशत* से अधिक हो गई।

- कम्पनी को ग्रेड-I की क्रेडिट रेटिंग के लिए विन्ड क्षेत्र के लिए लागू दर 10.25 *प्रतिशत* थी फिर भी इस मामले में ऋण 9.90 *प्रतिशत* पर संस्वीकृत किया गया था।

- संवितरण से पूर्व संस्वीकृति निरीक्षण और प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं किया गया था।

---

[13] *इरेडा द्वारा समय-समय पर ब्याज दरों को संशोधित किया गया था।*

प्रबन्धन ने बताए गए तथ्यों के साथ सहमत होते हुए कहा (अप्रैल 2014) कि सक्षम प्राधिकारी को अरक्षितता सीमा बढाने, ऋण की संस्वीकृति और ब्याज दर के लिए पूरा और उचित औचित्य उपलब्ध कराया गया था। सभी ऋणों का अनुमोदन यथा परिश्रमिता के बाद किया गया था।

तथ्य यह रह जाता है कि इरेडा ने पीएफसी और आरईसी के आधार पर अरक्षितता सीमा बढाने के लिए अपने स्वयं के प्रतिमानों का उल्लंघन किया। पिछले एफआईज के साथ तुलना औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि उनका बड़ा परिसम्पत्ति आधार है और इस प्रकार संभावित जोखिमों को खपाने की अधिक क्षमता है। इसके अतिरिक्त अन्य कम्पनियों की अनुचित प्रथाओं की नकल नहीं की जा सकती।

3.8.4 इरेडा ने **मै. वायू इंडियन पावर कार्पोरेशन लिमिटेड** को ₹ 300 करोड़ का एक ऋण संस्वीकृत किया (अगस्त 2010) और राजस्थान, गुजरात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यों में 202.40 एमडब्ल्यू पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु ऋण करार पर हस्ताक्षर किए (अक्तूबर 2010)। परियोजना की संस्वीकृति एक मुख्य वित्तदाता के रूप में इंन्डस्ट्रीयल डवेलमेंट फाइनेन्सल कॉपोरेशन (आईडीएफसी) के साथ संधीय वित्त सहायता में की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस मामलें में अरक्षितता 30 *प्रतिशत* थी अर्थात आरबीआई विवेकपूर्ण प्रतिमानों के 15 *प्रतिशत* और एकल ऋणकताओं के लिए इरेडा के घोषित 20 *प्रतिशत* दोनों से अधिक थी। प्रतिमानों को बढाने के अभिलेखित कारण निम्नानुसार थे:

i. इरेडा आरबीआई के साथ एक एनबीएफसी पंजीकृत कंपनी है और 100 *प्रतिशत* सरकारी कम्पनी होने के नाते आरबीआई प्रतिमानों से छूट प्राप्त है।

ii. आईडीएफसी ने भी इस परियोजना के लिए ऋणकर्त्ता कम्पनी को ऋण की संस्वीकृति दी थी।

iii. ऋणकर्त्ता ने पहले ही अपने योगदान का 89.77 *प्रतिशत* दे दिया था।

दिशानिर्देशों/प्रतिमानों से अन्य विचलन भी देखे गए थे:

- यद्यपि फरवरी 2012 तक संस्वीकृत ऋण के प्रति 100 *प्रतिशत* संवितरण कर दिया गया था, फिर भी परियोजना की सभी सम्पत्तियों के गिरवी रखने की कार्रवाई मार्च 2013 तक लम्बित थी। इरेडा ने गिरवी न रखने के लिए अतिरिक्त ब्याज दर प्रभारित नहीं किया।
- 14 संवितरण ऋणदाता के इंजीनियर की प्रास्थिति रिपोर्ट और आईडीएफसी (सह-वित्तदाता) से प्राप्त हुए अनुरोध के आधार पर किए गए थे, किन्तु इरेडा द्वारा जनवरी 2011 में गुजरात में समाना स्थल पर केवल एक प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया था और वह भी नौवें संवितरण से पूर्व।
- नामांकित निदेशक और समवर्ती इंजीनियर को ऋणकर्त्ता कम्पनी के बोर्ड में इरेडा द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था।

- इरेडा के दिशानिर्देशों के अनुसार, पुनर्भुगतान अवधि और ग्रेस अवधि 40 समान तिमाही किस्तों में 10 वर्ष थी जिसके प्रति इरेडा ने 48 तिमाही किस्तों में 12 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि और ग्रेस अवधि की अनुमति दी।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि दीर्घ पुनर्भुगतान दूसरे ऋणदाताओं के संबंध में साथ मिलाने के विचार से किया गया है और दीर्घ/संरचित पुनर्भुगतान संतोषजनक ऋण सेवा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यद्यपि इरेडा ने अपने दिशानिर्देशों में परिवर्तन नहीं किया है लेकिन छूट मामले के आधार पर दी जाती है। अतिरिक्त ब्याज को मुख्य वित्तपोषक आईडीएफसी के अनुरूप प्रभारित नहीं किया गया था जिसने अतिरिक्त ब्याज के बिना गिरवी के लिए भी समय की अनुमति दी थी। चूंकि परियोजना को सह-वित्तपोषण मोड में संस्वीकृत किया गया था, इसलिए वितरण को आईडीएफसी द्वारा नियुक्त ऋणदाता इंजीनियर की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। सह-वित्तपोषित परियोजना होने के नाते आईडीएफसी द्वारा नियुक्त किए गए ऋणदाता कें इंजीनियर इरेडा के समवर्ती इंजीनियरों की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

तथ्य यह रह जाता है कि वित्तपोषण दिशानिर्देश सह-वित्तपोषित परियोजनाओं के प्रतिमानों से छूट देने के बारे में मौन है और ऐसे मामलों में विवेकाधिकार की गुंजाइश हैं।

सिफारिश संख्या 4

निर्धारित ऋण जोखिम सीमाएं पार नहीं होनी चाहिए।
प्रबंधन ने आशिंक रूप से यह कहते हुए सिफारिश को स्वीकार किया कि इसे केवल उचित औचित्य और सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ मात्र विशेष मामलों में बढ़ाया जा रहा था।

तथापि, 29 *प्रतिशत* मामलों में अधिक क्रेडिट सीमा अरक्षितता इरेडा के मत को औचित्य नहीं ठहराती।

3.9 निर्धारित वित्तीय और प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में अन्य विचलन

कुछ निदर्शी मामलें, जहां लेखापरीक्षा ने निर्धारित वित्तीयपोषण और प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों से विचलनों को देखा, को नीचे दिया गया है:

3.9.1 इरेडा ने बेलारी जिला, कर्नाटक में वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर (डब्ल्यूएचआरबी) और फ्लूइडाइज़ड बैड कम्बशन बॉयलर (एफबीसीडी) पर आधारित 8 एमडब्ल्यू कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना करने के लिए **मै. नोबल डिस्टिलरीज एण्ड पावर लिमिटेड** को ₹ 21.30 करोड़ का अवधि ऋण मंजूर किया (मार्च 2007) और ऋण करार पर मई 2007 में हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना को शुरू करने की सम्भावित तारीख 31 मार्च 2011 थी।

लेखापरीक्षा ने निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित विचलन देखें:

- ऋण की मंजूरी के लिए यह जांच करने की शर्त थी कि वित्तपोषण क्षेत्र एनर्जी एफिशियेंसी और कंनरवेशन (ईईसी) में एनपीए की 15 *प्रतिशत* की सीमा होनी चाहिए। तथापि, मंजूरी के समय पर सैक्टर एनपीए 48.88 *प्रतिशत* था।
- इरेडा ने परियोजना का निरीक्षण किए बिना नियमित वितरण के रूप में ₹ चार करोड़ के ऋण की दूसरी किस्त दे दी (जुलाई 2010)। ऋणकर्त्ता ने दिसम्बर 2010 से भुगतान नहीं किया था। इरेडा द्वारा नियुक्त किए गए ऋणदाता के इंजीनियर (जून 2011) ने निरीक्षण में पाया (जुलाई 2011) कि ऋणकर्त्ता ने कॉरपोरेट कार्यालय को बंद कर दिया गया था और वे अपने फैक्टरी परिसरों से प्रचालन कर रहे थे। ऋणकर्त्ता ने अपना नाम भी बदल कर मै. नोबल इस्पात एण्ड एनर्जीज लिमिटेड रख लिया था।

खाता दिसम्बर 2010 में एनपीए बन गया था और मई 2012 में ऋण वापस मांगा गया था।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि परियोजना के पूरा होने में विलम्ब, कर्नाटक के बेल्लारी जिला में खनन पर रोक लगाने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण हुआ था जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र के प्रचालन व्यवहार्य नहीं पाए गए थे। परियोजना को कार्यायान्वित न करने और प्राप्यों के भुगतान न करने के कारण खता एनपीए बना गया था और इरेडा ने एसएआरएफइएसआई अधिनियम, 2002[14] के अन्तर्गत प्राप्यों की वसूली हेतु कार्रवाई आरम्भ की है।

यह देखा जा सकता है कि इरेडा ने ऋण को मंजूरी देते समय एनपीए से संबंधित एक शर्त मे छूट दी थी और नियमित आधार पर परियोजना को मॉनीटर नहीं किया था।

3.9.2 इरेडा ने आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कैप्टिव खपत के लिए ईईसी सैक्टर के तहत **मै. श्री वेंकटेश्वर स्पांज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड** को 15 एमडब्ल्यू विद्युत संयंत्र के लिए ₹ 26.50 करोड़ का ऋण मंजूर किया (मार्च 2005)। ऋणकर्त्ता ने बाद में विद्युत संयंत्र क्षमता को सह-वित्तपोषित बैंकों द्वारा वित्तपोषण करने हेतु दी गई ऋण राशि में कमी के साथ बीओडी के अनुमोदन (मार्च 2006) से 15 एमडब्ल्यू से घटाकर 12 एमडब्ल्यू कर दिया था। ऋणकर्त्ता ने सह वितपोषित बैंकों से ऋण में कमी के साथ इरेडा का ₹ 26.50 करोड़ का ऋण रखने का प्रस्ताव दिया। बीओडी द्वारा इसका अनुमोदन दिया गया (मार्च 2006)। इरेडा ने ₹ 11.50 करोड़ के पहले संवितरण का भुगतान किया (मार्च 2008) और अप्रैल 2009 तक ऋणकर्त्ता को कुल ₹ 21.81 करोड़ का कुल भुगतान किया।

---

[14] *एसएआरएफएईएसआई अधिनियम (दी सिकयुरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शल एसेट्स एण्ड (एनर्फोसमेंट) ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट अधिनियम, 2002) को ऐसी परिसम्पतियों के उद्ग्रहण के लिए वित्तीय परिसम्पतियों के संबंध में वित्तीय परिसम्पतियों के प्रतिभूतिकरण और पुनः निर्माण के विनियमन एवं प्रतिभूति ब्याज को लागू करने के लिए बनाया गया था।*

लेखापरीक्षा ने निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित विचलन देखें:

- यद्यपि इरेडा (मार्च 2004) के पास एनपीए के लिए निर्धारित 15 *प्रतिशत* की सीमा के प्रति ईईसी क्षेत्र में 31.66 *प्रतिशत* एनपीए था, फिर भी परियोजना को बीओडी द्वारा मंजूर किया गया था।
- ऋणकर्त्ता के निवेदन पर इरेडा ने पहले संवितरण से पहले प्रोत्साहक के योगदान में 100 *प्रतिशत*[15] से 30 *प्रतिशत* तक कटौती की अनुमति दी थी।
- प्रत्याभूतिदाता की निवल सम्पत्ति नोटरी द्वारा प्रमाणित पेपर पर प्रस्तुत की गई थी और सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित नहीं थी जोकि निर्धारित दिशानिर्देशों के विचलन में हैं।
- इरेडा ने पहले संवितरण के भुगतान से पहले अपेक्षित समानान्तर प्रतिभूति के रूप में ₹ 3 करोड़ के बराबर की राशि के लिए अपने पक्ष में कोई गिरवी प्राप्त नहीं की। यद्यपि ऋणकर्त्ता द्वारा इस संबंध में कम्पनी को आश्वासन दिया गया था फिर भी उक्त को अभी तक नहीं किया गया था।
- ऋणकर्त्ता ने सूचना दी (दिसम्बर 2009) कि इस्पात उद्योग में मन्दी के कारण कम्पनी को भारी वित्तीय हानि हुई थी जिसके कारण वे निर्धारित समय में विद्युत संयंत्र को पूरा करने में समर्थ नहीं थे। कम्पनी के पुनरूद्धार के लिए ऋणकर्त्ता ने ₹ 20 करोड़ के लिए अपनी इन्डंक्शन भट्टी को बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए निवेदन किया। तथापि, अतिरिक्त प्रतिभूति लिए बिना इरेडा ने 23 मार्च 2011 को ऋणकर्त्ता को एनओसी दे दिया। ₹ 20 करोड़ की बिक्री प्राप्तियों में से केवल ₹ 3.50 करोड़ का इरेडा को भुगतान किया गया था और शेष ₹ 16.50 करोड़ का भुगतान आन्ध्रा बैंक को किया गया था।
- ऋणकर्त्ता आन्ध्रा बैंक को ऋण का पुनर्भुगतान कर रहा था लेकिन इरेडा के प्राप्यों का भुगतान करने में चूक कर रहा था यद्यपि समरूप व्यवस्था[16] के अनुसार दोनों सह वित्तपोषकों को पुनर्भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाना था।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल 2014) कि वित्तपोषण प्रतिमानों के अनुसार सामान्यत: ऋणकर्त्ता को इरेडा से संवितरण प्राप्त करने के लिए अपने प्रोत्साहक योगदान के 33 *प्रतिशत* लाने की अपेक्षा की जाती है। वर्तमान मामले में ऋणकर्त्ता को संवर्धक योगदान के 30 *प्रतिशत* लाने के बाद संवितरण की अनुमति दी गई थी। इरेडा द्वारा अनुबद्ध समानान्तर प्रतिभूति गिरवी रखी गई थी। इन्डक्शन भट्ठी की बिक्री के लिए एनओसी के संबंध में यह बताया गया था कि आन्ध्रा बैंक ऋणकर्त्ता कम्पनी के लिए मुख्य ऋणदाता था और उन्होंने इरेडा के साथ समरूप व्यवस्था के अन्तर्गत विद्युतसंयंत्र का भी वितपोषण किया था। चूंकि, परियोजना कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ था, इसलिए प्रोत्साहक ने इन्डक्शन यूनिट के लिए क्रेता को ढूंढा जिसे आन्ध्र बैंक द्वारा वित्तपोषण किया गया था जिससे कि आन्ध्रा बैंक को अवधि ऋण देयता को कम किया जा सके। इरेडा के साथ समरूप व्यवस्था के कारण आन्ध्रा बैंक ने यूनिट की

---

[15] *इरेडा के कर्ज के सन्दर्भ में मेचिंग योगदान*

[16] *सभी तरह से समान, समान स्तय या दर पर, समान डिग्री या अनुपात, या बिना पक्षपात या वरीयता के समान अधिकार का लाभ लेना।*

बिक्री के लिए इरेडा से एनओसी मांगा। इरेडा को ₹ 3.5 करोड़ और शेष राशि का भुगतान आन्ध्र बैंक को करने के लिए एनओसी जारी करने के लिए इरेडा और आन्ध्रा बैंक के बीच परस्पर सहमति हुई जिससे कि क्रेता के पक्ष में इन्डक्शन भट्ठी पर प्रभार प्रतिफल देने के लिए आन्ध्र बैंक की सहायता की जा सके।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इरेडा मार्च 2011 तक अपने पक्ष में अतिरिक्त समानान्तर प्रतिभूति के रूप में गिरवी प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं कर सका यद्यपि पहला संवितरण मार्च 2008 में कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, ऋणकर्त्ता ने इरेडा द्वारा जारी एनओसी के लिए एक शर्त के रूप में अपक्षित ₹ पाँच करोड़ के प्रति केवल ₹ 2.60 करोड़ की राशि के लिए प्रोत्साहक का योगदान लिया। आंध्र बैंक ने ₹ 5 करोड़ के अतिरिक्त सावधि ऋण की मंजूरी नही की तथा परियोजना का कार्यान्वयन नहीं हो पाया।

3.9.3 इरेडा ने नागपुर, महाराष्ट्र में 5.40 एमडब्ल्यू क्षमता की म्युनिस्पिल सोलिड वेस्ट (एमएसडब्ल्यू) आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए **मै. एन्बी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** (परियोजना सं. 1146) को ₹ 8.45 करोड़ का ऋण मंजूर किया (जून 1999)।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित विचलनों को देखा:

- इरेडा के वित्तपोषण दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रोत्साहको को पहले संवितरण से पहले अपने हिस्से के 25 *प्रतिशत* का योगदान अपेक्षित था। ₹ 1.71 करोड़ के ऋण की पहली किस्त का संवितरण किया गया (अगस्त 2000) था यद्यपि प्रोत्साहकों का योगदान उस समय केवल 20.97 *प्रतिशत* था।

- पहली किस्त का भुगतान, परियोजना के निरीक्षण और उपस्कर आपूर्तिकर्ता के साथ किए गए करार की प्रस्तुति के बिना कर दिया गया था यद्यपि यह वित्तपोषण दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित हैं।

- ऋणकर्त्ता कम्पनी के बोर्ड में कोई मनोनीत निदेशक पहले संवितरण से पहले नियुक्त नहीं किया गया था। सितम्बर 2000 में इरेडा ने एक मनोनीत निदेशक नियुक्त किया जिसने मार्च 2001 में इरेडा को सूचना दी कि उसे ऋणकर्त्ता कम्पनी की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा था।

ऋणकर्त्ता ने दिसम्बर 2000 से देय राशियों के प्रति इरेडा को पुनर्भुगतान करने में चूक की और जून 2001 में इरेडा की आंतरिक समीक्षा समिति ने पाया कि ऋणकर्त्ता कम्पनी ने परियोजना को छोड़ दिया था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया था (सितम्बर 2013)।

उपरोक्त अभ्युक्तियों के मद्देनजर लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि:

सिफारिश संख्या 5

इरेडा को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण की मंजूरी देते समय पर्याप्त सावधानी के साथ उचित परिश्रम किया जाए। अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण दिशा-निर्देशों का सही तरीके से पालन किया जाना चाहिए; विचलन केवल अपवादात्मक मामलों में पर्याप्त स्पष्टीकरण के साथ किया जाना चाहिए।

तथापि, प्रबंधन ने यह कहते हुए सिफारिश को स्वीकार नहीं किया कि इरेडा अपनी ऋण नीति का पालन कर रहा है और विचलनों को पर्याप्त औचित्य के साथ बोर्ड को प्रस्तुत किया जाता है।

इरेडा के पक्ष को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि विचलन 40 *प्रतिशत* चयनित मामलों में पाए गए थे।